संख्या : 18/2016/178(2)/छप्पन-2016-88/2012

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 फरवरी, 2016

विषय :नये वायुयान के क्रय हेतु सिंगापुर एयर शो में प्रतिभाग करने के लिये गठित उच्च स्तरीय दल के विदेश यात्रा की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 381/ना0उ0/ईजी0/एफ-2/2015-16, दिनांक 28-01-2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- सिंगापुर में दिनांक 16 से 21 फरवरी, 2016 तक एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आयोजन किया गया है। एयर शो में प्रतिभाग करने के लिये गठित उच्च स्तरीय दल को सिंगापुर की विदेश यात्रा पर जाना है। गठित उच्च स्तरीय दल की अध्यक्ष श्रीमती अनीता सिंह, प्रमुख सचिव/महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश शासन एवं श्री एस0के0 रघुवंशी, सचिव, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश शासन के विदेश यात्रा की अनुमति/स्वीकृति नियुक्ति अनुभाग-8 द्वारा निर्गत की जायेगी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ, प्रबन्धक (परिचालन) नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को प्रस्तावित अवधि दिनांक 14 से 23 फरवरी, 2016 में (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) श्री राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में विदेश यात्रा की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उपर्युक्त विदेश यात्रा की अवधि में श्री देवेन्द्र स्वरूप, निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ, कै0 प्रज्ञेश मिश्र, प्रबन्धक (परिचालन), नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ, एवं मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-दो से चार के मूल नियम 9(6बी)(1) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जायेगा तथा उक्त अवधि में उन्हें मूल नियम-20 के अन्तर्गत वही वेतन व भत्ता देय होगा, जो उन्हें अन्यथा मिलता, यदि उन्हें विदेश यात्रा आदि के लिये न भेजा जाता।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) विदेश यात्रा से पूर्व अथवा बाद में सम्बन्धित अधिकारियों को कोई कार्य भार ग्रहण काल नहीं दिया जायेगा, परन्तु विदेश में गन्तव्य स्थान पर जाने, वहां से भारत वापस लौटने में व्यतीत हुआ उचित समय विदेश यात्रा काल का अंश माना जायेगा।

(3) इंगित अधिकारियों को भारत से सिंगापुर एवं भारत की वापसी की हवाई यात्रायें नियमानुसार उन्हें अनुमन्य श्रेणी में करनी होगी और उन्हें यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा ।

(4) इंगित अधिकारियों को अपनी तैनाती के स्थान से भारत में हवाई अड्डे तक जाने तथा वापसी की यात्रा में भारत के हवाई अड्डे से अपनी तैनाती के स्थान तक के लिए की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में उन पर लागू होने वाले नियमों के अधीन सामान्य शर्तों एवं दरों पर ग्राह्य यात्रा भत्ता देय होगा।

(5) विदेश में किये गये अवस्थान (हाल्ट) और वहां की यात्राओं के लिए उन्हें दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता एवं होटल किराया नियमानुसार अनुमन्य दरों पर देय होगा।

(6) विदेश यात्रा हेतु स्वीकृत धनराशि का समायोजन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गये विदेश यात्राओं से सम्बन्धित शासनादेशों के तहत किया जायेगा। आहरित धनराशि के अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) विदेश यात्राओं हेतु स्वीकृत अग्रिम धनराशि के समायोजन का प्रमाण-पत्र शासन को भी प्रेषित किया जाय।

2- उक्त विदेश यात्रा पर संनिहित व्यय की स्वीकृति पृथक से जारी की जा रही है।

भवदीय,

संलग्नक - यथोक्त।

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

संख्या : 18/2016/178(3)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 को प्रमुख सचिव के अवलोकनार्थ/सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 को सचिव के अवलोकनार्थ/सूचनार्थ।
6- महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।

----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- नियुक्ति अनुभाग-8
10- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
11- कै0 प्रज्ञेश मिश्र, प्रबन्धक (परिचालन), नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
12- श्री शोभित दास, मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।